न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीशसिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 204/2022

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण:

1. राणाराम पुत्र चिमाराम
2. पुनमाराम पुत्र उदाराम
3. पदमाराम पुत्र उदाराम
4. चुनाराम उर्फ अमरराम पुत्र उदाराम
5. गवरीदेवी पत्नी उदाराम
6. जुझाराम पुत्र गुमनाराम
7. रेखाराम पुत्र गुमनाराम
8. रामाराम पुत्र गुमनाराम
9. सताराम पुत्र गुमनाराम
10. पैलादराम पुत्र गंगाराम, उम्र–व्यसक, जातियान जाट, निवासी–नया खंरटिया, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:

1. कुम्भाराम पुत्र दीपाराम
2. पूनमचन्द पुत्र दीपाराम
3. शंकराराम पुत्र दीपाराम
4. हरखुदेवी पत्नी दीपाराम, उम्र–व्यसक, जातियान जाट, निवासी–नया खंरटिया, तहसील–सिणधरी, जिला–बाड़मेर
5. श्री तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री जोगराज पोटलिया, वकील प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2.श्री भंवरलाल सारण ,वकील विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से उपस्थित।

3.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(तहसील कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 05 की ओर से उपस्थित।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:13:31 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 09.04.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 94 रकबा 7.4104 हैक्टयर ग्राम नया खरंटिया पटवार क्षेत्र खरंटिया

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

.हसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 01 से 04 के खेत खसरा संख्या 228/92 रकबा 2.1843 हैक्टयर भूमि आया हुआ है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स. 1 से 04 की उक्त खसरे की भूमि में से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम नया खरंटिया तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 228/92 भूमि में होकर रास्ते के रूप में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 1 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री भंवरलाल सारण की तरफ वकालतनामा पेश करते हुए मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विप्रार्थी संख्या 05 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी/बायतु से तलब की गई।

दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई थी।

वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में तर्क दिए थे,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 94 रकबा 7.4104 हैक्टयर ग्राम नया खरंटिया पटवार क्षेत्र खरंटिया तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 01 से 04 के खेत खसरा संख्या 228/92 रकबा 2.1843 हैक्टयर भूमि आया हुआ है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स. 1 से 04 की उक्त खसरे की भूमि में से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक आवागमन हेतु बाधा उत्पन्न करते है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम नया खरंटिया तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 228/92 भूमि में होकर रास्ते के रूप में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे। आगे ओर कथन किया था,कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका जांच की गई और मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण को रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:13:31 IST
Reason: SelfAttested

नुसार प्रार्थी के पक्ष में खसरा संख्या 228/92 में से रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थी द्वारा अपनी ओर से यह भी स्पष्ट किया कि आवेदन के सलंग्न प्रस्तुत प्रस्तावित भूमि के नजरी नक्शा एवं तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका जांच के सलंग्न प्रस्तावित नक्शे में भूमि का आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए नया मार्ग प्रशस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने भी प्रार्थीगण के आवेदन पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र मिथ्या आधारों पर एवं तथ्यों को छुपाते हुऐ पेश किया है जो न्यायिक दृष्टिकोण से पोषित नहीं होने से खारिज लायक है। कि प्राथीगण के खेत खसरा संख्या 94 ग्राम नया खरंटिया में आवागमन हेतु पूर्व में रास्ता उपलब्ध है जो तहसील बायतु के ग्राम बोड़वा में गुजरता हुआ प्रार्थी खातेदारी जोत को जोड़ रहा है, प्रार्थी का खेत तहसील सिणधरी एवं तहसील बायतु की सरहद से जुड़ा हुआ है जो गांव बोड़वा से आने–जाने के रास्ते से जुड़ा होने से प्रार्थी को पूर्व में रास्ता उपलब्ध होने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत यह आवेदन वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के आधार पर खारिज लायक है क्योंकि इस अधिनियम की धारा 251 (I) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है जब वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर प्रार्थीगण अन्य खेत से सुविधाजनक उपयोग हेतु रास्ते का आवेदन नहीं कर सकता है। इस प्रकार प्रार्थीगण को उक्त रास्ता की आत्यन्तिक आवश्यकता नहीं है क्योकि प्रार्थीगण का खेत पूर्व में ही राजकीय कटाण रास्ते से जुड़ा हुआ है ऐसीस्थिति में आत्यन्तिक आवश्यकता के अभाव विधि मान्य नहीं होने से खारिज लायक है। कि प्रार्थीगण का खातेदारी जोत को यदि प्रस्तावित सड़क से जोड़ा जावे तो भी विप्रार्थीगण के सिवाय अन्य स्थान पर सड़क से प्रार्थीगण का खेत के निकटतम रास्ता खसरा संख्या 93 ग्राम नया खरंटिया पटवार मण्डल खरंटिया में उपलब्ध होने से प्रार्थी को हम विप्रार्थीगण के विरूद्ध आवेदन पेश करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रार्थीगण एवं सड़क के बीच स्थित खातेदारी खेत खसरा संख्या 93 का खसरा संख्या 96 से लगते हुए मेढ़ पर प्रार्थीगण के खेत एवं सड़क मार्ग की दूरी सबसे निकटतम होने से अधिनियम में प्रावधित निकटतम दूरी से ही प्रार्थीगण रास्ता पाने के लिये हकदार होने से हम विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश यह आवेदन खारिज लायक है, निकटतम दूरी पर उपलब्ध विकल्प के सम्बन्ध में इस जवाब के साथ परिशिष्ट–द" पेश किया जा रहा है जो जवाब का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:13:31 IST
Reason: SelfAttested

नन्न अंग होने से साथ पढ़ा जावें, जिसमें वस्तुस्थिति स्पष्ट हो रही है तथा इस निकटतम विकल्प के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा तहसीलदार सिणधरी से तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जावें ताकि वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके। इस प्रकार प्रार्थीगण का यह आवेदन पत्र मनगढन्त एवं विधि विरुद्ध तथा मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने एवं राजनैतिक द्वेषभाव तथा विप्रार्थीगण को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाने की नियत से यह आवेदन पत्र पेश किया है अतः विप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रार्थीगण के खेत से जुड़ता हुआ कटाण वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने, प्रस्तावित रास्ता से भी निकटतम दूरी पर सड़क होने एवं रास्ता की आत्यन्तिक आवश्यकता के अभाव में प्रार्थीगण यह आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

विप्रार्थी संख्या 05 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किया जावें।

हमनें दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से अपनी सहखातेदारी खेत मौजा नया खरंटिया तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 94 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचने के लिए बीच ग्राम नया खरंटिया तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 228/92 में से चल रहे रास्ते को कटाण रास्ते के रूप में स्वीकृत करने हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय द्वारा तलब की गई। तत्पश्चात् विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार बायतु से भी वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। आवेदन के तथ्यों के सन्दर्भ में प्राप्त दोनों मौका जांच रिपोर्ट के परस्पर अद्यतन एवं अवलोकन में पाया गया कि मौजा नया खरंटिया तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 94 में पहुचनें के लिए खसरा संख्या 228/92 में से अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं होने का उल्लेख करते हुए नया मार्ग चाहा गया है, जबकि प्रार्थीगण [illegible] खेत दोनों तहसीलों की सीमा पर स्थित है। तहसीलदार [illegible] ने अपनी मौका [illegible] रिपोर्ट में उल्लेख किया कि बोड़वा से लगती हुई सीमा पर ग्राम खरंटिया का खसरा संख्या 94 अवस्थित है जो बोड़वा की सरहद में खसरा संख्या 662/435 [illegible] हुआ है। प्रार्थी के उक्त खातेदारी खेत से निकटतम दूरी पर अवस्थित कटाण मार्ग से मात्र 90 मीटर की दूरी है, जो सलंग्न परिशिष्ट अनुसार बिन्दु सं. A से B प्रदर्शित है। इससे स्पष्ट साबित होता है,कि प्रार्थीगण को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुचनें के लिए प्रस्तावित रास्ता के अलावा सरहद मौजा बोड़वा से निकटतम दूरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:13:31 IST
Reason: SelfAttested

. कटाण मार्ग के रूप में वैकल्पिक उपलब्ध है। जहां से प्रार्थी विधि अनुरूप नये मार्ग की नियमानुसार मांग हेतु विधिवत कार्यवाही कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का आवेदन प्रथम दृष्टया क्षेत्राधिकार विहिन नहीं होने से खारिज योग्य है। प्रार्थीगण चाहे तो आवागमन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन सारहीन एवं तथ्यों के विपरीत होने के साथ ही क्षेत्राधिकार विहिन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

(जगदीशसिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 09.04.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:13:31 IST
Reason: SelfAttested